

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

पत्रांक - भवन-13/अभि0प्र0(विविध)-13/2022 5048 (4) पटना, दिनांक- 18/7/22

प्रेषक,

मुख्य सचिव,
बिहार ।

सेवा में,

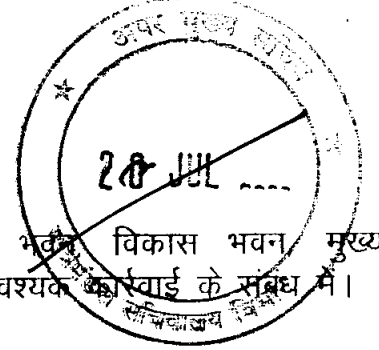
सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव,
बिहार, पटना ।

विषय : सचिवालय से संबद्ध भवनों यथा विश्वेश्वरैया भवन विकास भवन मुख्य सचिवालय एवं अन्य भवनों में अग्नि सुरक्षा हेतु आवश्यक कार्रवाई के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक कहना है कि विगत कुछ महीनों में सचिवालय से संबद्ध भवनों में आग लगने की कई घटनाएं हुए हैं जिसमें प्रभावित विभागीय कार्यालयों के महत्वपूर्ण उपकरण/संपत्ति के साथ-साथ महत्वपूर्ण सरकारी कागजातों की भी जलने की सूचना प्राप्त हुई है । आग लगने की घटना से न केवल सरकारी कार्य कई दिनों तक प्रभावित होते हैं बल्कि कार्यरत कर्मियों में भी असुरक्षा की भावना पैदा होती है । पूर्व की घटनाओं को देखते हुए सभी संबंधित विभागों को निम्न निदेश दिये जाते हैं :-

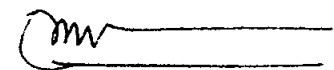
1. प्रत्येक विभाग अपने कार्यालय परिसर में अग्नि सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु उप सचिव से अन्यून स्तर के पदाधिकारी को नोडल पदाधिकारी नामित करेंगे ।
2. अग्नि सुरक्षा हेतु नामित नोडल पदाधिकारी का दायित्व होगा कि विभागीय कार्यालय परिसर का निरीक्षण कर अग्नि सुरक्षा से संबंधित उपायों के संबंध में विभागाध्यक्ष से सहमति प्राप्त कर अग्निशमन उपकरणों की समुचित व्यवस्था करेंगे । साथ ही इन उपकरणों के संचालन हेतु प्रशिक्षण भी विभागीय कर्मियों को दिया जायेगा ।
3. प्रत्येक विभाग के द्वारा कार्यालय में कार्यालय अवधि के पश्चात प्रतिदिन विद्युत उपकरणों यथा ए.सी., पंखा, हीटर, कूलर, बल्ब, ट्यूबलाइट आदि बंद करने हेतु रात्रि प्रहरी की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे तथा यह संबंधित नोडल पदाधिकारी का दायित्व होगा कि यह व्यवस्था सुचारु रूप से प्रतिदिन कार्यरत हो ।



2022
25.07.22

- प्रधानमंत्री
कैबिनेट (सी. १०१२४)
१८/७/२२
4. विभागीय कार्यालय परिसर में अधिष्ठापित सर्वर रूम में प्रायः 24x7 यू0पी0एस0 एवं कंप्यूटर चालू रखने की आवश्यकता होती है । अतः इन उपकरणों के नियमित रख-रखाव एवं रात्रि में नियमित निगरानी हेतु कर्मी की प्रतिनियुक्ति की जायेगी ।
5. विद्युत पैनलों के पास एवं पैनल रूम में पुरानी संचिकाएं, फर्नीचर, कागजातों को नहीं रखा जायेगा और न ही उसे घेर कर किसी प्रकार का डेस्क आदि बनाया जाएगा ।
6. निकासी के स्थानों एवं सीढ़ी के आसपास किसी तरह का अवरोध उत्पन्न नहीं किया जाएगा । यदि उपरोक्त स्थानों पर किसी प्रकार का कोषांग/डेस्क अथवा अवरोध बनाया गया है तो उसको अविलंब हटा दिया जाएगा ।
7. विभाग को आवंटित कार्यालय परिसर में बिना भवन निर्माण विभाग की अनुमति के किसी भी प्रकार का नया निर्माण अथवा विशेष मरम्मत का कार्य विशेषकर विद्युत संबंधी कार्य नहीं कराया जाएगा ।
8. किसी भी विभाग के द्वारा संकीर्ण स्थलों/गलियारों एवं निकासी स्थलों पर किसी भी प्रकार का अतिरिक्त द्वार, पार्टीशन, फॉल्स सीलिंग अथवा लकड़ी का वॉल पैनल का कार्य नहीं कराया जाएगा और न ही भवन निर्माण विभाग के द्वारा अन्य विभागों से इस तरह के प्राप्त अनुरोधों को स्वीकार किया जायेगा ।
9. प्रत्येक विभाग के द्वारा विभागीय कार्यालयों में अधिष्ठापित ए.सी. का वार्षिक रख-रखाव सुनिश्चित किया जायेगा तथा उच्च क्षमता के विद्युत उपकरणों यथा ए.सी., हीटर आदि का कार्य भवन निर्माण विभाग के विद्युत कार्यपालक अभियंता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करके ही कराया जायेगा ।

विश्वासभाजन,



मुख्य सचिव, 18.7.22
बिहार ।